रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 1976/वैशाख 28, 1898

No. 176] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 1976/VAISAKHA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 18th May 1976

G.S.R. 345(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fertilizer (Control) Order, 1957, namely:—

1. (1) This Order may be called the Fertilizer (Control) Fourth Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertilizer (Control) Order, 1957, in Schedule I, under the heading "A. Specifications of Fertilizer", after item 43 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

Name of Fertilizer	Specifications	
"44. Ammonium Phosphate Sulphate (18-9-0)	(*i*) Moisture per cent by weight, maximum	1·0
	(*ii*) Ammonical nitorgen per cent by weight, minimum . .	18·0
	(*iii*) Total phosphate (as P_2O_5) per cent by weight, minimum .	9·0
	(*iv*) Water soluble phosphate (as P_2O_5) per cent by weight, minimum	8·5
	(*v*) Particle size: Particle size of the material shall be such that 90 per cent of the material shall be between 1 and 4 mm IS Sieve and not more than 5 per cent shall pass through 1 mm IS Sieve."	

[No. 10-5/76-STU]

ANNA R. MALHOTRA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1976

सा० का० नि० 345 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात्.—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1976 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 की अनुसूची में "क उर्वरकों के विनिर्देश" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 43 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उर्वरक का नाम	विनिर्देश	
"44 अमोनियम	(1) भार के अनुसार आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम . .	1.0
	(2) भार के अनुसार एमोनिएकल नाइट्रोजन प्रतिशत, न्यूनतम .	18.0

उर्वरक का नाम	विनिर्देश	
	(3) भार के अनुसार कुल फास्फेट (P_2O_5) प्रतिशत, न्यूनतम .	9.0
	(4) भार के अनुसार जल विलेय फास्फेट (P_2O_5) प्रतिशत, न्यूनतम	8.5
	(5) कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का 90 प्रतिशत अंश 1 और 4 मि० मि० आई एस सीव के बीच रहेगा और 5 प्रतिशत से अधिक 1 मि० मि० आई एस सीव से होकर नहीं जाएगा ।	

[सं० 10-5/76-एस०टी०यू]

अन्ना आर० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976